

## बिहार विधान-सभा वादवृत्त ।

तिथि ११ फरवरी, १९५३

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-विवरण ।  
सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बुधवार, तिथि ११ फरवरी, १९५३ को पूर्वाह्न ११ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ ।

तारांकित प्रश्नोत्तर ।

## Starred Questions and Answers.

सहरसा में सिमेंट और कोयले का परमिट ।

\*१०८। श्री उपेन्द्र नारायण सिंह—क्या मंत्री, पूर्ति एवं मूल्य नियंत्रण विभाग,

यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) सहरसा जिले में सिमेंट और कोयले का कोटा जिले की आबादी के आधार पर कितना-कितना टन १९५१ ई० और १९५२ ई० में दिया गया तथा क्या अब वह अपर्याप्त नहीं है;

(ख) क्या यह बात सही है कि उत्तर बिहार में याने गंगा नदी के उत्तर पार, कोयले का डिपो नहीं रहने के कारण छोटे-छोटे किसानों को जो सौ-दो-सौ भन कोयला ईंट पकाने के लिये चाहते हैं, कोयला नहीं मिल पाता है;

(ग) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिले में सिमेंट सदैव पर्याप्त रूप में नहीं रहता है और कभी-कभी सिमेंट का मूल्य सात-आठ रुपये बोरा (बैग) देना पड़ता है तथा वर्षा के समय में जमे हुए सिमेंट के मूल्य में भी कोई छूट या कमी नहीं की जाती है;

(घ) यदि प्रश्न (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भविष्य में सहरसा जिले में सिमेंट और कोयले का समुचित कोटा तथा उसके लिये बैगन सप्लाई करने की व्यवस्था करने का विचार करती है;

(ङ) यदि प्रश्न (ग) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सहरसा में कोयला डिपो खोलने और पर्याप्त सिमेंट रखने तथा उसके बड़े हुए मूल्य में कमी करने की उचित व्यवस्था कर किसानों को सुविधा देने का विचार करती है?

श्री हरिनाथ मिश्र—(क) सन् १९५१ और १९५२ ई० में सहरसा जिला को क्रमशः

१,२२० और २,१६० टन सिमेंट तथा ६,६५० टन कोयला दोनों वर्षों में दिया गया । भारत सरकार से जो कोटा मिलता है, उसे समान अनुपात में राज्य के प्रत्येक जिलों में विभाजित करा दिया जाता है । परन्तु रेल के डब्बों की कमी के कारण उत्तर बिहार जिले में कोयला तथा सिमेंट अपर्याप्त रूप में पहुँच सकता है । यही कारण है कि सहरसा जिले में कोयला तथा सिमेंट अपर्याप्त रूप में पहुँच पाता है ।

(ख) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

विधान कार्य: सरकारी विधेयक।

LEGISLATIVE BUSINESS ; OFFICIAL BILL.

बिहार बिल्डिंग्स लीज, रेंट एंड एविकशन कंट्रोल (अमेंडमेंट) बिल, १९५३  
(१९५३ की वि० सं० ६)।

THE BIHAR BUILDINGS LEASE, RENT AND EVICTION CONTROL (AMENDMENT) BILL, 1953. (BILL NO. 6 OF 1953) (CONTD.)

श्री हरिनाथ मिश्र—अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ध्यान पूर्वक विभिन्न वक्तव्यों के

भाषण सुने। और बातों में मतभेद भी रहा हो परन्तु एक विषय को लेकर सभी सहमत नजर आये कि इस तरह के कानून की आवश्यकता है और सम्भवतः भविष्य में भी रहेगी। जरूर ही कुछ माननीय सदस्यों ने, छोटे-छोटे जो टिनेन्ट्स हैं उन पर मकान मालिक की ओर से क्या ज्यादातियां हो रही हैं, क्या उनकी तकलीफें हैं, इन सब विषयों पर प्रकाश डाला है और कुछ सुझाव भी दिये हैं कि किस तरह के संशोधन इस कानून में होना चाहिए। मैं आभारी हूँ माननीय सदस्यों का इन सारे सुझावों के लिए लेकिन एक विषय में अध्यक्ष महोदय आपके निकट रखना चाहता हूँ और आपके द्वारा माननीय सदस्यों के निकट भी। मैंने प्रारंभ में ही निवेदन किया था कि आर्डिनेंस जो अभी लागू है इस कानून को जीवित रखने के लिए, उसकी अवधि समाप्त हो जायेगी ६ सप्ताह के भीतर। २८ जनवरी को यह अधिवेशन शुरू हुआ और २८ जनवरी से लेकर ११ मार्च तक ६ सप्ताह की अवधि समाप्त हो जायेगी। इस बीच में अगर हम चाहते हैं कि कानून रहे और मकान सम्बन्धी कानून को लेकर कोई क्योस या अराजकता पैदा न हो जाय, तो जरूरत हो जाती है कि एसेम्बली से इस बिल को पास कर लें और कौंसिल से भी पास कर लें एवं इसके बाद राज्यपाल महोदय के यहां जाय, और तब इसे केन्द्रीय सरकार के समीप भेजा जाय। स्वभावतः वहां दो तीन विभागों में इस बिल की परीक्षा या छानबीन होगी। तब आखिर में राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति मिल सकेगी। स्वीकृति प्राप्त करके जब यह विधेयक आवेगा तब इसको कानून का रूप मिलेगा और तब यह बिहार गजट में प्रकाशित होगा। यह सब काम ११ मार्च, १९५३ के भीतर होना चाहिए इसे विषय पर अगर आप विचार करेंगे, गंभीरता पूर्वक इस परिस्थिति पर गौर करेंगे तो आप सहमत होंगे, अध्यक्ष महोदय कि किसी प्रवर समिति को यह विधेयक सौंपा नहीं जा सकता है।

हमारे मित्र श्री भुवनेश्वर पांडे ने कहा है कि सरकार जल्दबाजी करती है कानून पास करने में; इसी कारण कानून में त्रुटियां रह जाती हैं और हाईकोर्ट को उसे अल्ट्रावायर्स करार देना पड़ता है। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि १९५१ के अमेंडिंग ऐक्ट, को हाईकोर्ट ने अल्ट्रावायर्स करार दिया था इसलिये नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा त्रुटियां रह गई थीं बल्कि केवल इसलिये कि उस बिल की स्वीकृति राष्ट्रपति से नहीं ली गयी थी जो लेनी चाहिए थी।

मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि सरकार इस बिल को प्रवर समिति में भेजने के लिए तैयार हो जाती है, तो.....

आहिर है कि मौजूदा हालत में एक दो दिन से अधिक समय हम प्रवर समिति को नहीं दे सकते हैं। एक दो दिन में अगर कुछ सुधार हुआ प्रवर समिति के द्वारा तो उन सुधारों का बिल में समावेश करने के लिए उन पर कानूनी राय लेनी होगी। यह किसी तरह से संभव नहीं हो सकता है। अगर होगा भी तो बहुत जल्दीबाजी में, जिसमें डर

वना रहेगा कि कहीं कोर्ट द्वारा आखिर में कानून अल्पावयस करार न दे दिया जाय क्योंकि उन सुधारों की छानबीन अच्छी तरह नहीं हो सकेगी।

मेरे कुछ अन्य मित्रों ने कुछ वृत्तियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। कुछ सुझाव भी दिये हैं। श्री कमलदेव नारायण सिंह जी ने कहा है कि बहुत से अफसर दोस्ताना ढंग से मालिक के मकान में रहते हैं। और अगर हम यह संशोधन मान लेंगे तो उन सुविधाओं से वे सरकारी अफसर वंचित रह जायेंगे। उन मकान मालिकों को कुछ डर हो जायगा। मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि माननीय सदस्य ने शायद विधेयक या जो कानून अभी मौजूद है उसको अच्छी तरह से पढ़ने का कष्ट नहीं उठाया है। क्योंकि दोस्ताना ढंग से जो सरकारी अफसर किसी मालिक के मकान में रहते हैं उसकी जिक्र इस तरह के विधेयक में कैसे हो सकता है? इसमें तो सिर्फ जिक्र है, उस मकान के बारे में जिसमें सरकारी अफसर रहते हैं और जिसकी खबर सरकार को है। अभी कानून यह है कि अगर कोई सरकारी अफसर ट्रांसफर होता है और ट्रांसफर होने की वजह से उसका मकान खाली होता है तो उसके सबसेसर को ही वह मकान मिले, यह लाजिमी है। अगर कोई दोस्ताना ढंग से किसी मकान में रहता है तो उसके लिए यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। प्रस्तुत संशोधन के द्वारा कलक्टर को अधिकार दिया गया है कि जब कभी कोई मकान ट्रांसफर की वजह से या अन्य कारणों से खाली होता है तो डिस्ट्रिक्ट अफसर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो सरकारी कर्मचारी वहां पर हैं उनकी आवश्यकता को देखते हुए वह मकान उनमें से किसी को देगा। संशोधन में सिर्फ इतना ही कहा गया है। मेरे मित्र श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने पूछा है कि सरकारी जो मकान हैं और सरकारी मकान में जो रहने वाले हैं उनके विषय में भी यह कानून लागू है या नहीं। मैं कहूंगा कि अभी तक इस कानून का दायरा सरकारी मकानों तक नहीं है। वहां तक इसका विस्तार नहीं है। सरकार के अपने मकानों के सम्बन्ध में नियम समय-समय पर बदलते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य को इतना अविश्वास सरकार के प्रति नहीं होना चाहिए सिर्फ सरकारी मकानों एवं उनमें रहने वालों को लेकर। फिर भी यदि इस सदन की राय होगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और न होगी कि जितने किस्म के मकान हैं सरकारी, गैरसरकारी वे सभी इस बिल के दायरे में आ जायें। मेरे मित्र श्री गुप्तनाथ सिंह जी ने कहा है कि इस अमेंडमेंट की बात उनकी समझ में नहीं आयी। कोशिश करने पर भी। उनकी इस त्राकामयाबी में हमारी हमदर्दी उनके साथ है। उनका यह भी कहना है कि अन्यान्य सदस्यगण यहां तक कि पुति मंत्री भी बिल को नहीं समझ पाते हैं। अगर उनकी ऐसा कहने से संतोष होता हो एवं समझने में उनको एक प्रकार की अभिवृष्टि होती है तो मैं उन्हें उस संतोष से वंचित करना नहीं चाहता लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मुझसे जहां तक हो सकता है मैं उनकी इस विधेयक की बातों को समझने में हमेशा सहायता करने को तैयार हूँ और तैयार रहूंगा।

अब मैं आरम्भ के वक्ता श्री नन्द किशोर नारायण लाल जी की तरफ आता हूँ। उन्होंने कहा है कि मौजूदा कानून के अनुसार अगर टिनेंट के खिलाफ किसी मुकदमे का फैसला होता है तो उसे तुरन्त मकान खाली कर देना पड़ता है। मैं उनका ध्यान सेशन ११ के सब सेक्शन (३ बी) प्रोविजो की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि :—

The Controller shall give the tenant a reasonable time which shall be not less than 2 months and not more than 3 months for putting the landlord in possession of the building.

यही मौजूदा कानून है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस धारणा पर माननीय सदस्य बोल रहे थे वह ठीक नहीं थी। फिर हमारे मित्र श्री नन्द किशोर नारायण जी ने पूछा कि

कितने मुकदमों दायर हुए हैं मकानों के संबंध में और उनमें कितने लैंड-लॉर्ड द्वारा दायर किए गये हैं। जाहिर है कि उनका कहना यह था कि अक्सर मकान मालिक ही रेंटों को हटाने के लिए मुकदमा दायर करते हैं। मैं उनकी धारणा को दुस्तुत मानता हूँ। जितने मुकदमों होते हैं उनमें प्रायः ९०, ९५ फी सदी मकान मालिक द्वारा दायर किए जाते हैं। लेकिन इन मुकदमों में प्रायः ७५ फी सदी अन्त में असफल होते हैं चूंकि उनकी बुनियाद गलत होती है। यह भी बात दुस्तुत है। उन्होंने पूछा है कि आप उन छोटे-छोटे टिनैन्ट्स को क्या फायदा पहुंचा रहे हैं इन संशोधनों के द्वारा। मैं फिर दुहराना चाहता हूँ कि इस विधेयक का उद्देश्य मुख्यतः यही है कि जो कानून है उसको हम जिंदा रखें। हमारा मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि इसके द्वारा जो गरीब टिनैन्ट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाव, उनको लाभ पहुंचावें। किस परिस्थिति में सरकार को यह बिल लाना पड़ा इसका विवरण, अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी पेश किया है।

फिर भी हमने इस कानून में इस बात की कुछ गुंजाइश की है कि अक्सर छोटे-छोटे टिनैन्ट्स जो मकान मालिकों द्वारा परेशान किये जा रहे हैं उनकी परेशानी कम की जाय। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि हमने इस संशोधन में इस बात की भी गुंजाइश की है कि जब कोई मकान मालिक रेंट को हटाने के लिये मुकदमा दायर करेगा तो उसे अफिडेविट की कार्रवाई करनी होगी यानी शपथ लेनी होगी। इसका मतलब हुआ कि अगर मुकदमों की बुनियाद गलत पायी जायगी जैसा कि आजकल ७०-७५ फीसदी मुकदमों में होता है, तो उल्टा मुकदमा सरकार की तरफ से चलाया जा सकेगा। अभी तक मुकदमों के दायर करने में किसी तरह की डिपोजिट की व्यवस्था नहीं थी। हमने इस बात का समावेश किया है कि दो महीनों का किराया या १०० रु० दोनों में जो कम हो मुकदमा दायर करने में जमा कर देना होगा। अगर मुकदमा गलत पाया गया तो यह रकम फौरनफिट हो जायगी और टिनैन्ट्स को कम्पेन्सेशन मिलेगा।

मैं मानता हूँ कि यह विषय महत्वपूर्ण है और बहुत सारे संशोधनों का समावेश इसमें होना चाहिये। लेकिन इस प्रसंग में मैं आपको ध्यान इस पहलू की ओर आकषित करना चाहता हूँ कि प्रस्तुत विधेयक के पास करने के बाद भी इस कानून की जिन्दगी १४ मार्च, १९५४ को खत्म हो जाती है। प्रायः सभी माननीय सदस्यों ने कहा है और सरकार भी इससे सहमत है कि इस तरह के कानून की जरूरत है और आइदा भी रहेगी। इसलिए सरकार को सदन के सामने अगले अधिवेशन में या इसी अधिवेशन के अन्त में एक विधेयक लाना होगा। मैं आपके द्वारा सदस्यों को आश्वासन देता हूँ कि जब इस तरह का विधेयक मैं पेश करूंगा तो यह विधेयक सेलेक्ट कमिटी के सुपुर्दे किया जायगा जिसमें काफी बहस मुबाहिसा की गुंजाइश होगी। और आवश्यक विचार-विमर्श हो सकेगा। मैं आशा करता हूँ कि गरीबों को लाभ हो और उनकी परेशानी कम हो चाहे वे रेंट हो या मकान मालिक—ऐसी व्यवस्था हमलोग कर सकेंगे। सरकार की तरफ से इस आश्वासन के बाद मैं समझता हूँ कि सदस्यों को संतोष हो गया होगा और इस विधेयक को वे पास कर देंगे। इतना कह कर मैं बैठ जाता हूँ।

**श्री भुवनेश्वर पांडे—**अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने अपने बयान में इस

बात को कबूल किया है कि इस तरह का कानून बनाते वक्त उनके ख्याल से यह बात निकल गई थी कि इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति का भी आदेश लिया जाता है। इसी तरह की गलती के चलते हाई कोर्ट कानून को ठुकरा देती है। मेरा कहना यह है कि जल्दीबाजी में आप कानून बनाते हैं और आगे पीछे नहीं सोचते, इसका नतीजा यह होता है कि स्टेट को घाटा उठाना पड़ता है।

दूसरी बात यह है कि हम देखते हैं कि आज इस जमाने में जब अफसरों की संख्या बरसती मेंडकी की तरह बढ़ती जा रही है। इन कॉरप्ट अधिकारियों के हाथ में यह अधिकार सौंप देना कि जहां चाहें मकान को जब्त कर सकें, मनमाने तरीके पर किराया तय कर सकें, मेरे ख्याल में यह नादिरशाही हुक्म है। हम जानते हैं कि हमारी कंस्टि-न्यूएन्सी में किस तरह एक चपरासी ने, जिसका नाम चमन राम है, अपने मकान को बौ टुकड़े करके किराया पर दिया था और जब उसने अपने मकान को खाली कराना चाहा तो वह बेचारा नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, आप ही देखें कि किस तरह गरीबों का मकान ले लिया जाता है क्योंकि सरकारी अधिकारी बड़े लोगों के पास तो जाने नहीं पाते और न अपना मकान ही बना सकते हैं। इसलिये यह अधिकार उन्हें दे देना कि अपने निजी काम के लिये मकान ले सकते हैं और मनमाने तरीके पर किराया ठीक कर सकते हैं मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है और इससे गरीबों को तकलीफ होती है। मंत्री महोदय ने कहा है कि इसमें जो त्रुटियां हैं उसे वे महसूस करते हैं और अगले अधिवेशन में इस सम्बन्ध में जब वे बिल लायेंगे तो इसकी छान-बीन करेंगे।

हमारे कहने का मतलब यह है कि इस तरह से जल्दबाजी में कानून बना कर सरकार संसद के ब्रह्म को बर्बाद करती है। संसद की चलाने में गरीब रियाया का पंसा खर्च होता है इसलिये इसके सामने खूब जांच कर और सोच कर तब किसी बिल को लाना चाहिये। ऐसी हालत में इस बिल पर खूब सोच और विचार कर और जो खामियां थीं उनको दूर कर तब बिल को सदन के सामने पेश करना चाहिये। अब इस समय केवल आश्वासन देने से काम नहीं होता है। अभी सरकार का यह रवैया है कि छोटे-छोटे बिल को बिना समझे और खूब विचारे वह सदन के सामने पेश करती है और बहुमत होने से उसे पास करा लेती है। हम कहते हैं कि इस तरह से कानून नहीं बनता है। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार हमारे संशोधन को मान लेगी और ऐसा होने से उसे इस बिल पर सोचने और विचारने के लिये कुछ और समय मिल जायेगा और जो खामियां सरकार के सामने लायी गयी हैं उनको दूर करने के लिये वह उपाय करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को खतम करता हूं।

श्री नन्द किशोर नारायण—अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री का ध्यान

इस बिल की खामियों की तरफ गया है और इसके लिये उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस संबंध में एक बिल खूब सोच विचार कर इस अधिवेशन में या अगले अधिवेशन में पेश करेंगे। उनका यह ख्याल है कि इस तरह के कानून बनने से टिनेंट को राहत इसमें इसका प्रोविजन किया गया है कि कंट्रोलर के आज्ञा के बाद टिनेंट को ३ महीने आज के जमाने में पटना या छोटे-छोटे शहरों में भी आसानी से किसी को मकान नहीं मिलता है। मकान की किल्लत है इसलिये इतने कम समय में किसी को मकान मिलना संभव नहीं है। लेकिन जब उन्होंने इस चीज को महसूस किया है और आश्वासन दिया है कि अगले अधिवेशन में या इसी अधिवेशन में इसके लिये वे एक बिल पेश करेंगे तो मेरा जो सिलेक्ट कमिटी में भेजने का प्रस्ताव है उसे मैं वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार टिनेंट की तकलीफ को दूर करने के लिये शीघ्र से शीघ्र एक बिल पेश करेगी।

अध्यक्ष—आपके प्रस्ताव में भी एक संशोधन है।

श्री नन्द किशोर नारायण—जब पहला प्रस्ताव ही वापस ले लिया जाता है तब उस

पर संशोधन अपने आप वापस हो जाता है।

**Shri RAMCHARITRA SINGH :** This amendment has been divided into two parts. The first part is that it should be sent to Select Committee and the second part is that the Select Committee should report by a particular time. Then another amendment is about change of time.

**SPEAKER :** The amendment of Shri Bhubneshwar Pandey is that the Select Committee should report by 1st April, whereas Shri Nandkishore Narain wants it to be by the 25th February.

**Shri RAMCHARITRA SINGH :** So, the difference is about time. The general motion is about the Bill being sent to the Select Committee. If this is carried then the further step about time is to be considered. So, the best thing would be to divide it into two parts the first that it should go to Select Committee, and the second that the Select Committee should report by a particular date. When the actual thing is decided upon, that is when it is settled that the Bill be sent to a Select Committee then only we have to consider the amendment about time. If it is decided that the Bill should not be sent to a Select Committee, then no further question about time arises.

**SPEAKER :** I want your help in deciding the issue whether the hon'ble Member has a right to withdraw his motion.

**Shri RAMCHARITRA SINGH :** I think everyone has got the right to withdraw his motion. If any Member says that he would not allow it to be withdrawn, it has got to be put to vote.

**SPEAKER :** It has been said that the motion of Shri Bhubneshwar Pandey is an amendment to the original motion of Shri Harinath Mishra. Then an amendment with respect to change of date has been moved by Shri Nandkishore Narain.

**Shri RAMCHARITRA SINGH :** Sir, the motion before the House was that the Bill be taken into consideration, and then it was moved that it should go to a Select Committee.

So, the first thing is to decide whether it should go to a Select Committee. If it is decided that it should not go to the Select Committee then the question of date does not arise. So, the main proposition is that this should be sent to a Select Committee.

**SPEAKER :** Why should we not take it in this way? Let the amendment of Shri Nandkishore Narain be first taken up and then the amendment of Shri Bhubneshwar Pandey be put to vote.

**Shri RAMCHARITRA SINGH :** The motion of Government is that the Bill be taken into consideration. Then the other motion is that it should be sent to a Select Committee.

**SPEAKER :** Then I treat that as an amendment.

**\*Shri RAMCHARITRA SINGH :** I think strictly it should not be considered as an amendment. It should be treated as another motion. The rule of amendment is that it should not negative the substantive motion. But this one does that. So it cannot be treated as an amendment. It should be treated as a motion in opposition to the motion of Government.

**\*श्री रामलखन सिंह यादव—**श्री नन्द किशोर नारायण ने जो अमेंडमेंट पेश किया है

कि २५ फरवरी तक रिपोर्ट आवे वह उन्हीं के अमेंडमेंट का अमेंडमेंट है। पहले ३१ मार्च, उनका था उसमें यह अमेंडमेंट फिर उन्होंने पेश किया कि ३१ मार्च को घटा कर २५ फरवरी रख जाय। इसलिए उन्होंने अपने अमेंडमेंट को वियर्डों करने का हाउस से लीज मांगा है।

**अध्यक्ष—**अपने अमेंडमेंट का अमेंडमेंट का क्या मानी?

**श्री रामलखन सिंह यादव—**यही कि उन्होंने तारीख को घटा दी।

**अध्यक्ष—**तब तो जैसा भुवनेश्वर पांडे का अमेंडमेंट है वैसा ही उनका भी है।

**श्री रामलखन सिंह यादव—**वैसा तो उन्होंने नहीं किया।

**अध्यक्ष—**वैसा ही किया है। मोशन नहीं पेश किया, खाली संशोधन उपस्थित किया।

तो मैं निश्चय करता हूँ कि श्री नन्द किशोर नारायण अपना संशोधन वापस नहीं ले सकते हैं। पहले श्री नन्द किशोर नारायण के संशोधन को सदन के सामने रखता हूँ और यह भी कह देता हूँ कि अगर उनका संशोधन मान भी लिया जाय तभी भी उसके बाद यह नहीं माना जायगा कि श्री भुवनेश्वर पांडे का संशोधन रद्द हो गया।

प्रश्न यह है कि :

प्रवर समिति के प्रतिवेदन उपस्थित करने की तिथि २५ फरवरी, १९५३ रखा जाय।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

**अध्यक्ष—**मूल प्रस्ताव में यह था कि बिहार बिल्डिंग्स (लीज, रेंट ऐन्ड इविकशन)

कंट्रोल (अमेंडमेंट) बिल, १९५३ पर विचार हो। इस पर श्री भुवनेश्वर पांडे का संशोधन है कि उक्त विधेयक को इस निर्देश के साथ एक प्रवर समिति को सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन १ अप्रैल, १९५३ तक दे दे।

तो प्रश्न यह है कि :

दि बिहार बिल्डिंग्स (लीज, रेंट ऐन्ड इविकशन) कंट्रोल (अमेंडमेंट) बिल, १९५३ को इस निर्देश के साथ प्रवर समिति को सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन १ अप्रैल, १९५३ तक दे दे।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।



अध्यक्ष—अभी प्रश्न यह है कि :

दि बिहार विल्डिंग्स (लीज, रेंट एन्ड इविकशन) कंट्रोल (अमंडमेंट) बिल, १९५३ पर विचार हो।

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष—अब मैं खंडशः विचार करता हूँ।

प्रश्न यह है कि :

खंड २ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—खंड ३।

\*श्री राणा शिवलालपत सिंह—मैं अपना संशोधन उपस्थित नहीं करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड ३ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३ इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड ४, ५ और ६ इस विधेयक के अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ४, ५ और ६ इस विधेयक के अंग बने।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड १ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

“प्रस्तावना” इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

“प्रस्तावना” इस विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

“नाम” इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

“नाम” इस विधेयक का अंग बना।



श्री हरिनाथ मिश्र—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

दि बिहार बिल्डिंग्स (लीज, रेंट एन्ड इन्विकशन) कंट्रोल (अमंडमेंट) बिल, १९५३, स्वीकृत हो।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

दि बिहार बिल्डिंग्स (लीज रेंट एन्ड इन्विकशन) कंट्रोल (अमंडमेंट) बिल, १९५३ स्वीकृत हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार एसेन्शियल आर्टिकल्स (टेम्पोररी पावर्स) (अमंडमेंट) बिल, १९५३  
(१९५३ की बि० सं० ७)।

THE BIHAR ESSENTIAL ARTICLES CONTROL (TEMPORARY POWERS)  
(AMENDMENT) BILL, 1953. (BILL NO. 7 OF 1953.)

श्री हरिनाथ मिश्र—मैं बिहार एसेन्शियल आर्टिकल्स कंट्रोल (टेम्पोररी पावर्स)  
(अमंडमेंट) बिल, १९५३ को पुरःस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष—विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

श्री हरिनाथ मिश्र—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दि बिहार एसेन्शियल आर्टिकल्स  
(टेम्पोररी पावर्स) (अमंडमेंट) बिल, १९५३ पर विचार हो।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें कुछ अधिक कहना नहीं है। दि बिहार एसेन्शियल आर्टिकल्स (टेम्पोररी पावर्स) (अमंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ की अवधि १ जनवरी, १९५३ को खतम हो गयी। फिर भी सिमेंट दवा आदि वस्तुओं पर कंट्रोल करना आवश्यक समझा जाईनेस के जरिये उक्त कानून की अवधि बढ़ा दी। इस आर्डिनैस की अवधि ६ सप्ताह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। केन्द्रीय सरकार का ठीक इसी तरह का एक कानून है भी बढ़ा दी गयी है २६ जनवरी, १९५५ तक। इस विधेयक का भी यही मंशा है कि इसकी अवधि २६ जनवरी, १९५५ तक बढ़ा दी जाय।

श्री मुन्द्रिका सिंह—इसमें जो कलाज ४ आपन रखा है उसके बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री हरिनाथ मिश्र—इसका मंशा यही है कि केन्द्रीय सरकार का जो इस सम्बन्ध में कानून है उससे प्रान्तीय सरकार के कानून में कोई कलेश नहीं हो।

अध्यक्ष—श्री भुवनेश्वर पांडे के प्रस्ताव उपस्थित होने के पहले में एक बात कह देना चाहता हूँ। जब आर्डिनैस को कानून में परिणत करने के लिए यह बिल है और ६